



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 484) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-37/2020-1016/न0वि0एवंआ0वि0— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले समस्तीपुर जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4336 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)
1	2	3	4	5
6	नगर परिषद् ताजपुर	कस्बे ताजपुर-129 कस्बे आहर-126 हरिशंकरपुर बघौनी-127 रहीमाबाद-76 मोतीपुर-130 एराजी घटहो-128 भेरोखड़ा-75	कस्बे आहर, ताजपुर, हरिशंकरपुर बघौनी, रहीमाबाद (वार्ड संख्या 10 को छोड़कर) एवं भेरोखड़ा (वार्ड संख्या 11 को छोड़कर)	उत्तर-शाहपुर बघौनी-71 दक्षिण-राजखण्ड एवं गद्दोपुर-106 एवं 104 पूरब-आधारपुर-137 पश्चिम-सिरसिया चकरसलपुर-102,101

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद ताजपुर कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 484-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>